

राजस्थान—सरकार
शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प.17(11)शिक्षा-6/2010 / पार्ट

दिनांक : 13.03.2018

प्रेषिति :—

1. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
- ✓ 3/ राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।
2. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
4. आयुक्त,
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर।

३०८
~~४, ✓~~
२१/३/१८
विषय :— राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों
द्वारा सहयोग हेतु नवीन दिशा—निर्देश।

महोदय,

राजकीय विद्यालयों में दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा
सहयोग के संबंध में पूर्व में जारी दिशा—निर्देशों के अतिक्रमण में नवीन
दिशा—निर्देश संलग्न अनुसार जारी किये जाते हैं।

जिन प्रकरणों में पूर्व के दिशा—निर्देशानुसार स्वीकृति जारी की जा चुकी है,
उनमें पूर्वानुसार ही कार्यवाही की जावे। जो प्रकरण स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है,
उनमें पूर्व/नवीन दिशा—निर्देशों में से किसी एक के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु
पिकल्प/सहमति संबंधित भामाशाहों/दानदाताओं से ली जाकर तदनुसार
कार्यवाही की जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार



भवदीय,

२०८/३/३/४
(घनश्याम लाल शर्मा)
उप शासन सचिव



राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

विद्यालय के भामाशाह योजना

Vidyalaya ke Bhamashah Yojana

(With Reference to Corporate social Responsibility Concept)

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर।

(तीकड़ी हाथों से इंकटा खाये और हुआरों हाथों से दान लेने।)

- अध्येय (3/24/5)

दक्षिणावान् प्रथमो हूत एति, दक्षिणावान् ग्रामणीर ग्रमेति।

तमेव मन्ये जानानां यः प्रथमो दक्षिणा माविवाय।।

(कानूनी व्यक्ति प्रत्यक्ष शुभ कार्य में संवेदन उपायित्रा किया जाता है, यह समाज में ग्रामणी (ग्रामीण प्रमुख) होता है, जहाँ स्थान भवता है, जो हीम सबसे नहले दक्षिणा देते हैं, वे जन-समाज के बृप्ति लाने जाते हैं।)

- अध्येय (10/107/5)

राजकीय विद्यालयों के विकास में दानदाताओं/भामाशाहों/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा सहयोग बाबत नवीन दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

- 1.1 राजस्थान सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में विद्यालयी शिक्षा का उन्नयन करने हेतु बड़े पैमाने पर सुधारात्मक कार्य किए गए हैं जैसे— विद्यालय समन्वयन व सुदृढीकरण राजकीय विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ड्रमोन्यूयन एवं विद्यालय तथा शिक्षकों को भ्रातावी सम्बलन प्रदान करने के लिए प्रशासनिक दायें का सुदृढीकरण।
- 1.2 विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में कक्षा कक्षों, खेत मैदान, कर्मीचर एवं खेलकूद सामग्री, विद्युत एवं स्वच्छ पेयजल, शौचालय सुविधा व आईसीटी/कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाकर इन्हें सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- 1.3 राजस्थान में स्कूल शिक्षा के ढांचागत एवं गुणवत्ता सुधार में केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्त दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालयों में विभिन्न प्रकार से गतिविधियां संचालित करायी जाती हैं। उनके द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/अक्षय पेटिका में सीधा आर्थिक योगदान कर अथवा इसकी सहमति के पश्चात स्वयं के स्तर से कार्य करवाये जाते हैं।
- 1.4 Corporate Social Responsibility (CSR), दानदाताओं एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक प. 4 (7) शिक्षा-1/2014 दिनांक 11-07-2017 के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफार्म ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।
- 1.5 दानदाताओं/भामाशाहों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा विद्यालय में किये गये कार्य व योगदान के लिए प्रतिवर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर सम्मानित किये जाने का प्रावधान है। भामाशाहों/दानदाताओं से सहयोग प्राप्त करने एवं उनके समान हेतु अनेक दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी किये गये हैं। अतः पूर्व में जारी तभी दिशा-निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए समस्त राजकीय विद्यालयों, राजकीय आवासीय विद्यालयों एवं राजकीय छात्रावासों को प्रदत्त सहयोग के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं—

2. विद्यालयों में दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थानों के सहयोग से विकास कार्य करवाने हेतु प्रक्रिया
 - 2.1 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से
 - 2.1.1 दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान सीधे ही विद्यालय में विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति की सहमति से विद्यालय में आधारभूत संरचना एवं गुणवत्ता सुधार हेतु कार्य एवं आर्थिक योगदान विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के खाते में कर सकते हैं। कार्य का कियान्वयन सम्बन्धित दानदाता/भामाशाह/औद्योगिक संस्थान स्वयं अथवा चयनित संस्था अथवा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से करवाया जा सकता है।
- 2.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से
 - 2.2.1 राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 4 (7) शिक्षा-1/2014 दिनांक 11-07-2017 द्वारा राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु Corporate Social Responsibility के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जनसमुदाय से सहयोग प्राप्त करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की स्थापना की गई है।
 - 2.2.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल/मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के माध्यम से सहयोग हेतु निम्नलिखित पांच श्रेणियों हैं—
 - I. पोर्टल पर प्रदर्शित प्रोजेक्ट हेतु सहयोग।
 - II. दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा स्वयं का प्रोजेक्ट बनाकर सहयोग।
 - III. विद्यालय को गोद लेना।
 - IV. विद्यालय विशेष को सहयोग राशि प्रदान करना।
 - V. मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय योगदान करना।
 - 2.2.3 मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में वित्तीय योगदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अन्तर्गत आयकर में छूट देय है। इस कोष का उपयोग राज्य सरकार द्वारा आदेश

कर्मांक— प. 4 (7) शिक्षा-1/2014 दिनांक 11-10-2017 से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु किया जाता है। (परिशिष्ट-1)

3. भागाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों के लिए प्रोत्साहन

3.1 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार भागाशाह/दानदाताओं/औद्योगिकी संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराये गये विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहन परिशिष्ट-2 के अनुसार दिया जावेगा।

4. भागाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों द्वारा दिये गये योगदान के आधार पर विद्यालयों के नामकरण हेतु मानदण्ड

4.1 बिन्दु संख्या 2 के अनुसार केवल भागाशाह/व्यक्तिगत दानदाता द्वारा विद्यालय के विकास में किये गये योगदान के आधार पर बिन्दु संख्या-3 पर देय प्रोत्साहन के अतिरिक्त विद्यालयों का नामकरण किये जाने के निम्नानुसार मानदण्ड होगे—

- प्राथमिक विद्यालय हेतु — 30 लाख रुपये से अधिक योगदान पर
- उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु — 60 लाख रुपये से अधिक योगदान पर
- माध्यमिक विद्यालय हेतु — 150 लाख रुपये से अधिक योगदान पर
- उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु — 200 लाख रुपये से अधिक योगदान पर

4.2 बिन्दु संख्या- 4.1 पर निर्धारित मानदण्ड की समीक्षा प्रत्येक दो वर्ष में की जावेगी।

4.3 विद्यालय के नाम के पूर्व में केवल भागाशाह/व्यक्तिगत दानदाता का स्वयं का नाम अथवा उसके द्वारा निर्धारित नाम अकिञ्चित किया जावेगा। उदाहरण स्वरूप— श्रीमती कौशल्या देवी द्वारा बिन्दु संख्या 4.1 के अनुसार राशि का कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुर में कराये जाने पर विद्यालय का नामकरण श्रीमती कौशल्या देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर किया जावेगा। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय के नाम से राजकीय शब्द नहीं हटाया जावेगा।

4.4 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा नामकरण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जावेगा एवं नामकरण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की जावेगी।

- 4.5 बिन्दु संख्या 4.1 पर वर्णित राशि विद्यालय के विकास हेतु व्यय की जावेगी, इसमें भूमि की कीमत रामिल नहीं होगी। परन्तु बिन्दु संख्या-3 पर वर्णित अन्य प्रोत्साहनों की गणना हेतु भूमि की कीमत भी समिलित होगी।
- 4.6 यस्तु रूप में प्राप्त सहयोग की स्थिति में लागत मूल्य का निर्धारण वस्तु के वास्तविक बिल की प्रमाणित प्रति संस्था प्रधान को उपलब्ध कराने पर एवं निर्माण की स्थिति में कार्य प्रारंभ के समय लागत अनुमान के आधार पर अंतिम कार्य राशि का एसडीएमसी से प्रमाणिकरण उपरान्त निर्धारित की जाएगी।

4.7 नामकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- 4.7.1 विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से विद्यालय में किये गये कार्यों के मामले में संबंधित विद्यालय की विद्यालय प्रबन्धन व विकास समिति/विद्यालय विकास समिति के अनुमोदन उपरान्त प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा को भिजवाया जाएगा।
- 4.7.2 ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किये गये कार्य के मामले में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-
- ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विशेष हेतु Create A CSR Project श्रेणी में भागाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा विद्यालय में स्वयं द्वारा कार्य करवाने की स्थिति में कार्य पूर्णता पश्चात तथा जहां कार्यकारी संस्था विभाग को बनाया गया हो उस पूर्ण लागत राशि हरतान्तरित होने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में गठित सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्कीनिंग कमेटी से अनुमोदन पश्चात संबंधित निदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को अंग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावेगा।
 - ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालय विशेष हेतु Donate to A School श्रेणी में भागाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान सहयोग राशि हरतान्तरित होने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में गठित सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्कीनिंग कमेटी से अनुमोदन पश्चात संबंधित निदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को अंग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जावेगा।
 - वस्तु के रूप में प्राप्त सहयोग की स्थिति में लागत मूल्य का निर्धारण वस्तु के वास्तविक बिल की प्रमाणित प्रति के आधार पर एवं निर्माण की स्थिति में कार्य प्रारंभ के समय लागत अनुमान के आधार पर अंतिम कार्य राशि का निर्धारण

जिला संवीक्षा समिति द्वारा किया जाकर राज्य संवीक्षा समिति को भिजवाया जायेगा।

- iv. पोर्टल के माध्यम से Adopt A School श्रेणी के अन्तर्गत गोद लिये जाने पर-
- विद्यालय पर कुल अनावर्ती व्यय बिन्दु संख्या- 4.1 के अनुसार होने की स्थिति में भी तदनुरूप नामकरण किया जा सकेगा।
 - विद्यालय पर कुल अनावर्ती व्यय बिन्दु संख्या- 4.1 में प्रावधित राशि से कम होने पर विद्यालय के नाम के साथ तीन वर्ष हेतु सहित में दिनांक एवं सत्र सहित यह लिखा जा सकेगा कि यह विद्यालय तीन वर्ष के लिए उक्त भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थान द्वारा गोद लिया गया है।

उदाहरण के तौर पर -

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलासर बीकानेर

(यह विद्यालय एवीसी वाप्नी द्वारा तीन वर्ष के लिए गोद लिया गया है)

सत्र 2017-18 से 2019-20 तक

दिनांक 01.07.2017 से 01.07.2020

5. राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन

- राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को बिन्दु संख्या-3 के प्रावधानों के अनुसार सम्मानित किये जाने हेतु प्रति वर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती के अवसर पर राज्य स्तर भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी होंगे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पूर्व की भाँति राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
- मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-3 के प्रावधानों के अनुरूप दिये गये योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।

6. जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन

- राजकीय विद्यालयों/ राजकीय शिक्षण संस्थाओं के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक विकास के लिए भामाशाह/दानदाता/औद्योगिक संस्थानों को बिन्दु संख्या-3 के प्रावधानों के अनुसार सम्मानित किये जाने हेतु प्रति वर्ष 28 जून को भामाशाह जयन्ती

के अवसर पर प्रत्येक जिला स्तर पर भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जावेगा।

6.2 मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-3 के प्रावधानों के अनुरूप दिये गये योगदान भी इस श्रेणी हेतु पात्र होंगे।

6.3 समस्त जिलों में जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित कराने के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर नोडल अधिकारी होंगे। जिला स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा- प्रथम नोडल अधिकारी होंगे। प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग के आवेदन क्रमांक प.6 (18) प्र.सु./अनु.3/2016 दिनांक 30-03-2016 द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा सलाहकार समिति (परिशिष्ट-3) कार्यक्रम हेतु आयोजन एवं चयन समिति के रूप में कार्य करेगी।

6.4 जिला स्तरीय सम्मान समारोह में जिले के जनप्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमन्त्रित किया जावेगा।

7. **भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों को राजकीय विद्यालयों में सहयोग हेतु प्रेरित करने वालों के लिए प्रोत्साहन**

7.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) की अवधि में किसी राजकीय विद्यालय को सहयोग हेतु एक या एक से अधिक भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति को राज्य/जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में "शाला प्रेरक" की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा।

7.2 दान एवं सहयोग राशि के लिए किसी एक विद्यालय को एक इकाई माना जायेगा।

7.3 तीस लाख रुपये या इससे अधिक धन राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।

7.4 पाँच लाख एवं अधिक तथा तीस लाख रुपये से कम की राशि का सहयोग करने वाले भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को जिला स्तरीय सम्मान समारोह में सम्मानित किया जावेगा।

7.5 भामाशाह/ दानदाता/ औद्योगिक संस्थानों द्वारा संबंधित शाला प्रधान (प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य) को लिखित में अवगत करवाये जाने पर कि उनके द्वारा प्रदत्त योगदान हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति का विवरण लिखित में सम्बन्धित संस्था प्रधान को उपलब्ध करवा जाने पर संस्था प्रधान द्वारा तथ्य की पुष्टि स्वयं के स्तर पर

की जाएगी तथा सही पाए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को शाला प्रेरक हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र में सम्मानित किए जाने हेतु प्रेरक के नाम की अभिशंषा की जाएगी।

- 7.5.1 राज्य स्तर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी नण्डल उप निदेशक को एवं उप निदेशक, निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा को उचित भाष्यम द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव समेकित रूप से तैयार कर भेजेंगे, जिसके साथ चयनित शाला प्रेरक के आवेदन पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न कर प्रेषित करेंगे।
- 7.5.2 जिला स्तर सम्मानित होने वाले प्रेरकों के आवेदन पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंषा पर जिला रकूल सलाहकार समिति (चयन समिति) को भेजेंगे।

मेरि

परिशिष्ट-2

भामाशाह/दानदाताओं/औद्योगिकी संस्थानों द्वारा विद्यालयों में कराये गये विकास कार्यों के लिए प्रोत्साहन

क्र. सं	सहयोग का स्तर/ कार्य या वस्तु लागत	प्रोत्साहन का विवरण	प्रक्रिया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	शिक्षा मित्र 5000 रुपये से 25 हजार रुपये	विद्यालय में सहज दृश्य स्थान पर विभिन्न दानदाता/ भामाशाह/ औद्योगिक संस्थानों से प्राप्त सहयोग प्रदर्शित करने वाली पटिटका (भामाशाह बोर्ड) संस्था प्रधान द्वारा लगाई जावेगी।	माह में कम से कम एक बार उक्त बोर्ड को अद्यतन किया जाएगा एवं उस दिनांक तक प्राप्त सहयोग राशि व दानदाता का विवरण अंकित किया जावेगा।	
2	शिक्षा साथी 25 हजार रुपये या अधिक राशि (किसी सम्पूर्ण कार्य अथवा वस्तु विशेष हेतु) या लागत मूल्य कार्य /वस्तु से 1 लाख रुपये तक	<ul style="list-style-type: none"> • क्र.सं.-1 की श्रेणी को देय प्रोत्साहन • सहयोग से प्राप्त वस्तु/ निर्मित कार्य पर दानदाता/ भामाशाह/ औद्योगिक संस्थान का नाम व लोगो (यदि कोई हो तो) 	<ul style="list-style-type: none"> • क्र.सं.-1 की श्रेणी के अनुसार • वस्तु या राशि प्राप्त होने/ निर्माण कार्य पूर्ण होने के दस दिवस में सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति से कॉलम-3 के अनुसार प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव अनुमोदित करवाया जाएगा • अनुमोदन के 5 दिवस में नाम व लोगो लिखायाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी। 	<ul style="list-style-type: none"> कॉलम संख्या 2 में अंकित राशि से पूर्ण इकाई (निर्माण /वस्तु) होने की स्थिति में ही देय

1	2	3	4	5
3	<p>शिक्षा श्री 1 लाख रुपये से अधिक व 15 लाख रुपये तक</p>	<ul style="list-style-type: none"> • क.सं-1 व 2 श्रेणी को देय प्रोत्साहन • शिक्षा विभाग राजस्थान की पत्रिका शिविरा के वार्षिकांक में प्रकाशन • प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में प्राप्त सहयोग राशि के आधार पर आगामी जिला स्तरीय मामाशाह सम्मान समारोह (प्रतिवर्ष 28 जून को आयोज्य) में सम्मानित किया जायेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> • क.सं-1 व 2 की श्रेणी के अनुसार • ज्ञान संकल्प प्रकोष्ठ बीकानेर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर उपलब्ध सूचना एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर सूची तैयार की जावेगी एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से प्रस्ताव अनुमोदित करवाकर शिविरा में प्रकाशन की व्यवस्था की जावेगी। • ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु— ✓ जिला संवीक्षा समिति चयन कर जिला आयोजन समिति को भेजेंगे। • विद्यालयों के द्वारा सीधे प्राप्त सहयोग हेतु— ✓ सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर जिला आयोजन समिति को भेजेंगे। 	

1	2	3	4	5
4	शिक्षा भूषण 15 लाख रुपये से अधिक व 1 करोड़ रुपये तक	<ul style="list-style-type: none"> क.सं-1, 2 व 3 श्रेणी को देय प्रोत्साहन (जिला स्तर पर भागाशाह सम्मान को छोड़कर) 	<ul style="list-style-type: none"> क.सं-1, 2 व 3 की श्रेणी के अनुसार 	
		<ul style="list-style-type: none"> ज्ञान संकल्प पोर्टल के "हॉल ऑफ फेम" पर दानदाता/ भागाशाह/ औद्योगिक संस्थान का नाम प्रदर्शित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> सी.एस.आर प्रकोष्ठ रामाशिप जयपुर हारा ज्ञान संकल्प पोर्टल पर "हॉल ऑफ फेम" में नाम प्रदर्शन की व्यवस्था करवायेगा। 	
		<ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक वित्तीय दर्व 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में प्राप्त सहयोग राशि के आधार पर राज्य स्तर पर आयोजित भागाशाह सम्मान समारोह (प्रतिवर्ष 28 जून को आयोज्य) में सम्मानित किया जायेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से सहयोग हेतु— ✓ सी.एस.आर प्रकोष्ठ मा. शि. नि. बीकानेर चयन कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनुमोदन पश्चात् नोडल एजेन्सी को भेजेंगे। विद्यालयों के हारा सीधे प्राप्त सहयोग हेतु— ✓ सम्बन्धित संस्था प्रधान प्रस्तावों को जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंखा सहित सम्बन्धित निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर को प्रेषित करेंगे जो अनुशंखा सहित निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हारा राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा। 	

1	2	3	4	5
5	शिक्षा विभूषण 1 करोड रुपये से अधिक	<ul style="list-style-type: none"> ● क्र.सं.-1, 2, 3 व 4 श्रेणी को देश प्रोत्साहन (जिला स्तर पर भाग्यशाह सम्मान को छोड़कर) ● ज्ञान संकल्प पोर्टल के फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी का प्रकाशन 	<ul style="list-style-type: none"> ● क्र.सं.-1, 2, 3 व 4 की श्रेणी के अनुसार ● सी.एस.आर. प्रकोष्ठ रामाश्रिय जयपुर द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल के फेसबुक पेज पर कवर स्टोरी प्रदर्शन की व्यवस्था करवायेगा। 	